


मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
"मंत्रालय"

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2016

क्रमांक 444 /2016/ई/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रणवीर सिंह चौहान, संयुक्त संचालक, वित्त, कार्यालय आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं नगर निगम, ग्वालियर को, तत्काल प्रभाव से नगर निगम, ग्वालियर के प्रभार से एकतरफा कार्यमुक्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 445 /2016/ई/चार
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2016

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सचिव,
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण/वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल,
6. आबकारी आयुक्त, कार्यालय आबकारी आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर,
9. संबंधित अधिकारी,
10. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(श्रृंखला सिंगीने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग